न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 74/2015

उनवान

(1) श्रीमती कालि पत्नि गोतम जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) श्रीमती तुलसी पत्नि पवन जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) अशोक पिता, पवन जाति भील निवासी पाड़ा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) श्रीमति कला पत्नि बापु जाति भील निवासी पाडा परस्तापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) हलिया पिता गौतम जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) मृतक हिरा पिता थावरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसानः—
1/1. कालिया पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/2. रमण पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/3. जगु पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/4. प्रकाश पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/5. पन्ना पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/6. कैलाश पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 13.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीया नम्बर 1 का देवर एवं वादीया संख्या 2 व 5 के काका ससुर एवं 4 एवं 5 के काका है वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि पंटवार हल्का परतापुर के ग्राम परतापुर के खाता संख्या 131 (नया) 108 (पुराना) के सर्वे नम्बर 781 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर 782 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 793 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1244 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 1245 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नंम्बर 2316/2829 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2317 रकबा 0.10 हे0 सर्वे नम्बर 2318 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 2541 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 2542 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 2544 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2550 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 2552 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 2583 रकबा 0.11हे0, सर्वे नम्बर 2589 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 2594 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 2696 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 17 रकबा 1.76 हे0 भूमि स्थित है। वादीगण की उक्त भूमि पैतृक होकर [illegible] खातेदार श्री थावरा थे जिनकी मृत्यु होने पर भी उक्त रिकार्ड श्री थावरा के नाम दर्ज है। जिस कारण से वादीगण दर बदर की ठोकरे खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रतिवादी नम्बर 01 से 07 उक्त भुमि को खुर्द–बुर्द करने एवं विक्रय करने पर आमादा होकर वादीगण को बेदखल करने को प्रयासरत होकर कुछ भूमि को विक्रय भी कर देना चाहते है। जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 को रोका जाना आवश्यक है व उक्त भुमि पैतृक होने से वादीगण नम्बर 1 से 6 को प्रतिवादीगण 01 से 07 के साथ 1/2–1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार आवश्यक होने से घोषणा हेतु वाद पत्र हस्ब धारा 88 रा.का.अधिनियम के पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दु होकर हिन्दु पारिवारिक व्यवस्था से शासित है और वादी और प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खातेदारी खाते में अपना हक एवं

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा अधिकार रखते है व उक्त खाते के मुल खातेदार मृत्यु पश्चात् भी उक्त खाता मुल खातेदार थावरा के नाम ही दर्ज रेकार्ड है। वादीगण अपने खेतो में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उक्त खेतों में आधुनिक तरीके से सुधार करना चाहते है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादीगण इंकार कर आये दिन झगडा फसाद करते रहते है। वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु होकर हिन्दु पारिवारिक व्यवस्था से शासित है तथा वादी एवं प्रतिवादी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी खाते में अपना हक एवं हिस्सा अधिकार रखते है तथा उक्त खाते का मुल खातेदार की मृत्यु पश्चात भी उक्त खाता मुल खातेदार थावरा के नाम ही दर्ज रेकार्ड है। जिस कारण से उक्त भुमि पर वादीगण का भी हिन्दु पारिवारिक व्यवस्था अनुसार पुरा पुरा समान रूप से हक व अधिकार है। वादीगण द्वारा अर्सा करीब 8 रोज पुर्व भुमि सुधार वास्ते प्रस्ताव रखा गया एवं बैंक ऋण सुविधा प्राप्त करने निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा सहयोग हेतु इंकार कर दिया गया जिससे वाद कारण उत्पन्न होने के कारण वाद प्रस्तुत हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश द्विवेदी, अभिभाषक का वकालतनामा पैश होकर जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:–

(1) आया वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मूल पुरूष थावरा पिता कचरा की खातेदारी की भुमि खाता संख्या 131 (नई) 108 (पुरानी) कुल सर्वे नम्बर 17 कुल रकबा 1.76 हे0 वाके ग्राम परतापुर पटवार हल्का परतापुर में स्थित है। तथा वर्तमान में थावरा के फौत होने के पच्चात भी थावरा के नाम ही भूमि दर्ज रेकार्ड है।

–: वादीगण

(2) आया प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने एंव विकय करने पर आमादा होकर वादीगण को बेदखल करने को प्रयासरत् है। तथा उक्त भूमि पैतृक होने से वादीगण प्रतिवादीगण के साथ 1/2, 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार घोषित होने के लिये धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम में वाद पेष हुआ है।

–: वादीगण

(3) आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8 का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 भाग मौके पर विभाजित होकर वर्तमान में भी विभाजन के अनुसार काबिज होकर काष्त करते आ रहें है। खेतो में सुधार करने का वादीगण का अभिकथन झुठा व बनावटी है। राजस्व रेकार्ड में थावरा बड़ा पुत्र होने के कारण नाम दर्ज है।

–: प्रतिवादीगण

(4) अनुतोषः–

वादीगण की साक्ष्य के रूप में श्रीमती काली पत्नि गोतम, श्रीमती तुलसी पत्नि पवन, हलिया पिता गौतम, विशाल पिता बापुलाल, श्रीमती कला पत्नि बापु, अशोक पिता पवन के शपथ–पत्र पेश होकर काली पत्नि गोतम द्वारा जमाबन्दी संवत 2071 प्रदर्श–1, स्व. श्री थावरा का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–2 प्रदर्शित करवाये जाने के पश्चात् प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि "यह बात सही हैं कि मैं पढ़ी लिखी नही हूँ, मै प्रतिवादीगणो का जानती हूँ, मेरे ससुरजी का नाम थावरा था, थ[illegible]ाजी का नाम कचरा था, कचरा के पिता का नाम मुझे मालुम नही [illegible] के दो लड़के थावरा व भीखा थें। थावरा के दो पुत्र हिरा व गोतम [illegible] नही होकर पुत्री भगवती है। यह बात सही हैं कि मैने वादी व प्रतिवादीगण के खाते की वर्तमान नकल पेश नही की है। यह बात सही हैं कि मैने सेटलमेंन्ट व सेटलमेंन्ट के पूर्व की [illegible]कले पैष नही की गई है। यह बात मूझे नही पता की नाथा वल्द दितीया की नकल प्रतिवादी ने पेश की है, यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 4 जगु, हिरा का पुत्र है। यह बात मुझे पता नही की जगु भीखा के साथ रहता हो, यह बात मुझे पता नही की जगु को भीखा ने पुत्र रखा हो, मुझे यह नही पता की जगु को भीखा ने कोई गोदनामा दस्तावेज बनाया हो, मैने भीखा को देखा है वह मेरे काका ससुर होते

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

थे, भीखा फोत हो गया है। यह बात सही हैं कि भीखा के फोत होने के बाद उत्तर किया, ईलाज जगु ने किया, खोतों में आधे खेतों में खेती हो रही है व आधे खेत पड़ा हुवे है। यह बात सही हैं कि प्रतिवादीगण व जगु सभी खेती कर रहे है।

तत्पश्चात् प्रतिवादी की साक्ष्य के रूप में प्रकाश, जगु, रमण, पन्ना, कैलाश, कालिया के शपथ–पत्र पेश होकर जग्गुलाल पिता हिरालाल द्वारा खेतौनी सन् 1915 व 1916 प्रदर्श डी–1, जमाबन्दी संवत 2059 से 62 प्रदर्श डी–2, जमाबन्दी संवत 2.71 से 74 प्रदर्श–डी–3, गोदनामा प्रदर्श–डी–4 व उसकी रसीद प्रदर्श–डी–5 प्रदर्शित करवाये जाने के पश्चात् वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह कहना सही है कि मैं पेशे से अध्यापक हुँ। उक्त वादीगण मेरे काका के लडको की बहुए है। यह कहना सही है कि थावरा हमारे दादाजी है। हमारे दादा थावरा है और थावरा के पिता कचरू पिता नानिया के हम सब वंशज है। यह कहना सही है कि वर्तमान में वादग्रस्त भुमि थावरा पिता कचरू के नाम से दर्ज है। यह कहना सही है कि थावरा के 2 पुत्र है गोतम व हिरा है अजखुद कहा की थावरा का भाई भीखा भी था। यह कहना सही है कि गोतम व हीरा दोनो की मृत्यु हो गई है। गोतम के दो ही लडके है। पवन ओर बापु। काली जो कि गोतम की दुसरी पत्नि है। हलिया, काली का लडका है। यह कहना सही है कि पवन और बापु दोनो की मृत्यु हो गई है। यह कहना सही है कि पवन का एक पुत्र अशोक है और तुलसी उसकी पत्नि है। बापु की पत्नि कली है, कला नहीं है। बापु के सात(7) लडके है। सोमा व सीमा बापु के लडका लडकी नही है। यह कहना सही है कि बापु के 7 संतानं है। हिरा की मृत्यु हो गई। हिरा के 6 लडके है। कालिया, रमण, जगु, प्रकाश, पन्ना, कैलाश, थावरा पिता कचरू के आधे हिस्से में गोतम व हिरा है। व आधे हिस्से में भीखा थावरा का भाई। मैने भीखा के नाम से दस्तांवेज पेश किये है जो कि गोदनामा है। इसके अलावा मैने भीखा के नाम से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। मैने कचरा पिता नाथिया के नाम से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। भीखा की मृत्यु सन 2012 में हुई है लेकिन मैने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है। गोद नामे में उस समय सर्वे नम्बर नहीं लिखते थे लेकिन अब लिख रहे है। भीखा की पुत्री भी है जिसका नाम भगवती है। यह कहना सही है कि पेरा संख्या 01 में लिखित वादीगणं एवं प्रतिवादी गण संख्या 2,3,5,6,7,8 कस 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 04 का 1/2 भाग मौके पर विभाजित है इस प्रकार का जमाबंदी में कही पर हवाला नहीं है। फिर कहा की मौके पर विभाजित होकर वर्तमान में काबिज हो कर काश्त कर रहे है। यह चरण संख्या 01 मे वर्णित है। यह कहना सही है कि मैने मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट न ही पटवारी से न ही तहसीलदार से लेकर पेश की है। अजखुद कहा की हमारे बाप दादा से विभाजन कर खेती करते आ रहे है। यह कहना सही है कि हमारे बाप दादा का उक्त भुमि का बटवारा की लिखावटी नही है। अजखुद कहा की विश्वास के आधार पर बटवारा होते थे। यह कहना सही है कि मृतक भीखा के मृत्यु उपरान्त किया जाने वाला खर्चा का ब्योरा पेश नहीं किया। अजखुद कहा गांव वाले जानते है। यह कहना गलत है कि की प्रश्नगत भुमि का लगान सब भरते है जबकि मै भरता हुँ। यह कहना सही है कि प्रश्नगत भुमि का फसल खराबा सरकार द्वारा दिया गया लाभ हम सब बाट कर लेते है। यह कहना गलत है कि वादीगण की कृषि भुमि को खोस लेने का दावा किया है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु [illegible] की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव पत्रावली में प्रस्तुत वाद, [illegible] अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र आदि का संक्षिप्त अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकिवार निर्णय पारित किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 01:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार पूर्णतया वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इसे सिद्ध करने के लिये पटवार हल्का परतापुर के मौजा परतापुर की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 131 (नया) 108 (पुराना) के कुल किता 17 रकबा 1.76 हे0

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

प्रदर्श–1 प्रदशित करवाई गई है जिसमें खातेदार थावरा पिता कचरा सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार थावरा के नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादीगण द्वारा खातेदार घोषित होने एंव भूमि के बटवार हेतु धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार थावरा के नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादीगण द्वारा खातेदार घोषित होने एंव भूमि के बटवार हेतु धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा आसामीवार खतौनी मौजा परतापुर प्रदर्श–डी–1 प्रदर्शित करवाई गई है, जो नाथा वल्द दित्या के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें अंकित खसरा नम्बर वादीगण द्वारा वाद में अंकित खसरा नम्बर से भिन्न होकर तुलनात्मक नकल प्रस्तुत नही की गई है। साथ ही मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब, अभिलेख का सक्षिंप्त अवलोकन एंव बकुलाय की बहस पर मनन करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावें के संलग्न की गई वंशावली का सजरा तथा प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उल्लेखित वंशावली के सजरे का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली के सजरे में स्व0 श्री गौतम के वारिसान के रूप में श्रीमती काली (वादी सं0 1) तुलसी (वादी सं0 2) अशोक (वादी सं0 3) श्रीमती कला (वादी सं0 5) हलिया (वादी सं0 6) तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली के सजरे में स्व0 श्री गोतम के वारिसान के रूप में तुलसी (वादी सं0 2) अशोक (वादी सं0 3) श्रीमती कला (वादी सं0 5) दर्शाया गया है। दोनों ही वंशावली के सजरे में वारिसान पृथक–पृथक् अंकित हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के जवाब का अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार के उत्तराधिकारी घोषित होने का अनुतोष चाहा गया है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के जवाब का अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार के उत्तराधिकारी घोषित होने का अनुतोष चाहा गया है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 74/2015

उनवान

(1) श्रीमती कालि पत्नि गोतम जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) श्रीमती तुलसी पत्नि पवन जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) अशोक पिता, पवन जाति भील निवासी पाड़ा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) श्रीमति कला पत्नि बापु जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) हलिया पिता गौतम जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) मृतक हिरा पिता थावरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा के वारिसान:—

1/1. कालिया पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/2. रमण पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/3. जगु पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/4. प्रकाश पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/5. पन्ना पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
1/6. कैलाश पिता हिरा जाति भील निवासी पाडा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 13.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के जवाब का अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार के उत्तराधिकारी घोषित होने का अनुतोष चाहा गया है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 13.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढी

उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	[illegible]जी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	[illegible]तन[illegible] वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा [illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस [illegible]श्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत [illegible]जराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुत[illegible]क	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा